न्यायाल[illegible] कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48/1997(जी.सी.एम.एस.1997/00001)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. मनोहर लाल खोलायत पुत्र साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी चक 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. साहिबदिता पुत्र सुहावाराम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1.सन्तो बाई पत्नी साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/2.भजन देवी पत्नी जगदीश पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर । 1/3.कमला देवी पत्नी रमेश चन्द्र पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर 1/4. शिमला देवी पत्नी पूर्णचन्द पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर 2. भरीया बाई बेवा सुहावाराम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 3. रामदिता पुत्र सुहावाराम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 3/1.वीरा बाई पत्नी रामदिता जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3/2.लालचन्द पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर 3/3. बंसो बाई पुत्री रामदिता पत्नी कश्मीर राम तहसील श्रीकरणपुर। 3/4. सोमा बाई पुत्री रामदिता पत्नी बिशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. रामी बाई पुत्री सुहावा राम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. जट्टी बाई पुत्री सुहावा राम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक)। 5/1.पूर्णचन्द पुत्र वीरभान जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर 5/2.मंगतराम पुत्र वीरभान जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5/3.पार्वती बाई पुत्री जट्टी बाई पत्नी हरनामदास जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5/4. कैलाश देवी पुत्री जट्टी बाई पत्नी ताराचन्द जाति कम्बोज निवासी मानकसर तहसील श्रीकरणपुर 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

तारीख रजू:- 02.04.1997

उपस्थितः 1. श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादी
2. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक : 14.06.2024

--निर्णय--

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 25 बीघा नहरी कृषि भूमि भारत सरकार के पर्नुवास विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 सुहावाराम पुत्र बधावाराम कौम कम्बो को अलॉट जरिए सनद संख्या 2407 दिनांक 16.12.1986 जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा जारी हुई, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल संख्या 691168 सुहावाराम की मृत्यू के पश्चात उसके जायज व विधिक उतराधिकारी भरीया बाई बेवा सुहावाराम रामदिता साहिबदित्ता पिसरान सुहावाराम, रामीबाई, जटीबाई पुत्रियां सुहावाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया। प्रतिवादी साहिबदिता के औलाद में लडकियां ही पैदा हुई और लडका नहीं होने से उसने वादी मनोहरलाल को गोद लेकर वर्ष 1987 में गोदनामा दिनांक 17.09.1984 सम्पादित एंव निष्पादित कर गोदनामा सब रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर के कार्यालय में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

पंजीकृत करवा दिया। वादी विधि अन्तर्गत प्रतिवादी साहिबदिता का खोलायत पुत्र है और वादी खोलायत पुत्र होने के नाते बही कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जो एक असली पुत्र को साहिबदिता की विरास्त से प्राप्त सम्पति में प्राप्त होते। प्रतिवादी साहिबदिता को उसके पिता सुहावाराम की सम्पति मुरब्बा नम्बर 39 के 25 बीघा नहरी भूमि वाके चक 60 एफ में विरास्तन में प्राप्त हुई, जिसमें उसका 115 हिस्सा यानि 5 बीघा नहरी भूमि है, जो वादी को पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का अपने पिता साहिबदिता प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर पाने का विधिक अधिकारी है। इन्तकाल संख्या 691168 के मुताबिक चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 25 की जमाबन्दी बन चुकी है। जिसमें साहिबदिता अन्य प्रतिवादीगण के साथ खातेदार है। प्रतिवादी साहिबदिता अपने भाई रामदिता के बहकावों में आकर वादी को अधिकार से वंचित करने हेतु वादी को खोलायत पुत्र मानने से इंकार हो गया और उसने पंजीकृत गोदनामा को निरस्त करवाने हेतु एक दावा अनवानी साहिबदिता बनाम मनोहरलाल नम्बरी दिवानी 72/93 अपर जिला न्यायाधीश नम्बर 1 श्रीगंगानगर केम्प श्रीकरणपुर के न्यायालय में किया। जो दावा खारिज दिनांक 05.02.1997 को हो गया है। गोदनामा को न्यायालय में निरस्त नहीं किया और दस्तावेज गोदनामा को सही मान बरकरार रखा गया है। मुकदमा गोदनामा निरस्त करवाने का हार जाने के बावजूद प्रतिवादी साहिबदिता वादी के अधिकार का नहीं मानता और वादी को उसकी पैतृक भूमि में से 115 हिस्सा की भूमि में से निस्फ हिस्सा वादी का होना नहीं मानता और दिनांक 06.02.1997 को देने से इंकार हो गया। वादी हिन्दू शास्त्र के अन्तर्गत विधिक रूप से अपने पिता साहिबदिता के नाम अंकित खातेदारी भूमि पैतृक होने के कारण उसके साथ बहिस्सा बराबर पाने के अधिकारी है तथा अपनी खातेदारी घोषित करवाने के लिए सक्षम है तथा खातेदारी घोषित करवाकर नियमानुसार भूमि विभाजन करवाने का अधिकारी है। चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के 25 बीघा भूमि में प्रतिवादी साहिबदिता की खातेदारी भूमि 1/5 हिस्सा का बंटवारा अन्य खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 में किया जावे और जो विशेष किलेजात प्रतिवादी साहिबदिता के हिस्सा में 5 बीघा भूमि हो, उसमें निस्फ हिस्सा को विभाजन कर निस्फ हिस्सा विभाजन की डिक्री वादी के पक्ष के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिक की जावे। विभाजन की डिक्री के मुताबिक वादी को उसके हिस्सा की 2-1/2 बीघा भूमि का कब्जा दिलाया जावे तथा डिक्री जो न्यायालय पारित करे उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को दिया जावे। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिए अधिवक्तागण जवाब दावा पेश करने पर तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में हाजा न्यायलय के आदेश दिनांक 17.09.2007 द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 60 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 47/38 के मुरब्बा नम्बर 39 में दर्ज साहिबदिता पुत्र सुहावाराम का 1/5 हिस्सा भूमि में वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री जारी की गई।

2.न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.09.2007 के विरूद्व पक्षकारान जैला सिंह आदि के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.07.2017 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.09.2007 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत साहिबदित्ता के सभी जायज वारिसान को पक्षकार बनाते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से आदेश पारित किया जावे।

3. प्रकरण न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिए जाकर पक्षकारों को तलब किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/3, 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1/1, 2, 3, 5 के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किये। जो बाद सुनवाई स्वीकार किये जाकर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया।

4.हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया गया। हम प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेशानुसार तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या 1:- आया वादी मनोहरलाल चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 47 के 25 बीघा भूमि जो प्रतिवादी साहिबदिता की खातेदारी है, में पैतृक सम्पति होने के कारण उक्त 25 बीघा में 1/5 हिस्सा पाने का अधिकारी बतौर दत्तक पुत्र प्रतिवादी साहिबदिता है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-1 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर कैम्प श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 05.02.1997 के अनुसार साहिबदिता के द्वारा मनोहरलाल के विरूद्ध गोदनामा दिनांक 17.09.1983 को निरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। जो न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 05.02.1997 न्यायालय अपर न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर कैम्प श्रीकरणपुर के द्वारा मनोहरलाल के गोदनामे को सही माना गया है तथा साहिबदिता द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। प्रदर्श-2 इन्तकाल के अनुसार भूमि पूर्व में साहिबदिता के पिता सुहावाराम के नाम से थी तथा सुहावाराम के फौत होने के बाद भूमि उसके वारिसान के नाम से आई। चूंकि मनोहरलाल साहिबदिता का दत्तक पुत्र है, भूमि पैतृक है। प्रतिवादी के द्वारा भूमि पैतृक न होने संबधी कोई दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि न्यायालय अपर न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05.02.1997 के विरूद्ध उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील प्रस्तुत कर रखी है। इस बाबत प्रतिवादी के द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 05.02.1997 आज भी यथावत है तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में यह अंकित किया है कि सनद संख्या 2407 दिनांक 14.12.1986 निरस्त हो चुकी है एंव इसकी अपील चीफ सेटलमेन्ट ऑफीसर कमीश्नर के यहां की, जिसके द्वारा प्रकरण डी.आर.ओ. को रिमाण्ड किया गया। इस तथ्य का खण्डन करने के लिए प्रतिवादीगण के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। लिहाजा वादी साहिबदिता का दत्तक पुत्र है तथा वादगत भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें से वादी हिस्सा पाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2:- आया वादी अपने हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण से जरिए विभाजन कर अलग खाता किए जाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। लिहाजा वादी अपने हिस्सा का अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3:- आया वादगत भूमि की सनद संख्या 2047 दिनांक 16.11.1986 निरस्त हो चुकी है। अतः मौजूदा दर्ज इन्तकाल का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वह खारिज हो चुका है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सनद संख्या 2407 दिनांक 14.12.1986 निरस्त हो चुकी है एंव इसकी अपील चीफ सेटलमेन्ट ऑफीसर कमीश्नर के यहां की, जिसके द्वारा प्रकरण डी.आर.ओ. को रिमाण्ड किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4:- आया वाद में धारा 80 सीपीसी का नोटिस राज्य सरकार को दिए बिना दावा पोषणीय नहीं है।?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 88 आरटीए का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। राज्य पक्ष के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः दावा धारा 88 सीपीसी के नोटिस के अभाव में खारिज योग्य नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

5.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 बहक वादी एंव तनकी संख्या 3, 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1/2 ता 1/4 को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मनोहरलाल बनाम साहिबदिता आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आरटीए,
प्रकरण संख्या 48/1997

-: क्रियात्मक आदेश:-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से साहिबदिता पुत्र सुहावाराम के नाम दर्ज 6/25 हिस्सा भूमि में वादी मनोहरलाल, प्रतिवादी संख्या 1/2 भजन देवी, प्रतिवादी संख्या 1/3 कमला देवी, प्रतिवादी संख्या 1/4 शिमला देवी को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मनोहरलाल बनाम साहिबदिता आदि

धारा अन्तर्गत 88, 53 आरटीए

मुकदमा नम्बर 48/1997

निर्णय दिनांक :- 14.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह बडिंग व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से साहिबदिता पुत्र सुहावाराम के नाम दर्ज 6/25 हिस्सा भूमि में वादी मनोहरलाल, प्रतिवादी संख्या 1/2 भजन देवी, प्रतिवादी संख्या 1/3 कमला देवी, प्रतिवादी संख्या 1/4 शिमला देवी को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक: 14.06.2024

क्रमांक: रीडर/2024/287

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालयं में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर श्री करणपुर उपखण्ड